भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6103

(दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए)

सीमावर्ती जिलों में दुष्प्रचार के खतरे

6103. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सीमावर्ती जिलों में दुष्प्रचार के खतरों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय भाषाओं में सार्वजनिक सूचना अभियान चलाए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए सामुदायिक रेडियो अथवा स्थानीय प्रसारण का उपयोग किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के दृष्टिकोण से सुदृढ़ संचार रणनीतियों का प्रस्ताव है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): पत्र सूचना कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक फैक्ट चैक यूनिट (एफसीयू) कार्यरत है। एफसीयू सीमावर्ती सरकार से संबंधित भ्रामक सूचनाओं तथा फर्जी खबरों की पहचान करती है। अधिकृत स्रोतों से समाचार की प्रामाणिकता का सत्यापन करने के पश्चात, एफसीयू सीमावर्ती जिलों सहित इसके व्यापक प्रसार हेतु अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सही जानकारी प्रकाशित करती है।

ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान, एफसीयू ने ऑनलाइन प्रसारित हो रही भ्रामक सूचना तथा फर्जी खबरों की सक्रिय रूप से पहचान की। इसने तुरंत झूठे दावों की तथ्य जांच कर प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई तथा सटीक जनसंचार सुनिश्चित किया। ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया पर 1,400 से अधिक यूआरएल को ब्लॉक करने के निर्देश भी जारी किए। इन यूआरएल की सामग्री में झूठी, गुमराह करने वाली भारत-विरोधी समाचार

सामग्री, साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, जो मुख्यतः पाकिस्तान-आधारित सोशल मीडिया खातों से थी, तथा भारतीय सशस्त्र बलों के विरुद्ध उकसाने वाली सामग्री शामिल थी।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क के अंतर्गत, सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था के हित में वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडल तथा पोस्ट को अवरुद्ध करने हेतु आवश्यक आदेश जारी करती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध वैधानिक तथा संस्थागत तंत्रों के माध्यम से फर्जी खबरों पर नियंत्रण हेतु सभी संभव कदम उठाती है, जिनमें शामिल हैं:

प्रिंट मीडिया: समाचार पत्रों के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित "पत्रकारिता के आचरण के मानक" का पालन करना आवश्यक है। ये मानक, अन्य बातों के साथ-साथ, फर्जी/मानहानिकारक/भ्रामक खबरों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करते हैं। परिषद, पीसीआई अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इन मानकों के कथित उल्लंघनों की जांच करती है तथा मामले के अनुसार समाचार पत्र, संपादकों, पत्रकारों आदि को चेतावनी दे सकती है, फटकार सकती है या निंदा कर सकती है।

• **टेलीविजन**: टीवी चैनलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि किसी ऐसी सामग्री का प्रसारण न किया जाए जिसमें कुछ भी अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, असत्य और संकेतात्मक एवं अर्ध-सत्य हो। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के अंतर्गत टीवी चैनलों द्वारा कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है। जहाँ भी कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन पाया जाता है, वहाँ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

• **डिजिटल मीडिया**: डिजिटल मीडिया पर समाचार एवं समसामयिक विषयों के प्रकाशकों तथा ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) एक आचार संहिता तथा इसके साथ ही ऐसे प्रकाशकों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु एक तीन-स्तरीय संस्थागत तंत्र का प्रावधान करते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय समय-समय पर प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता के अनुपालन हेतु एडवाइजरी भी जारी करता है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) प्रामाणिक, समयबद्ध तथा स्थानीय रूप से प्रासंगिक जानकारी के सीमावर्ती जिलों सहित, प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम स्थानीय समुदाय के लिए तात्कालिक प्रासंगिकता के होने चाहिए, जिससे स्थानीय चिंताओं का समाधान हो तथा भ्रामक सूचना का प्रभावी रूप से प्रतिरोध किया जा सके। सीआरएस को सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री के निर्धारण हेतु स्थानीय समुदाय के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक परामर्शदात्री एवं सामग्री समिति का गठन करना आवश्यक है। लक्षित श्रोताओं के बीच बेहतर पहुँच एवं समझ सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण अधिमानत: स्थानीय भाषाओं एवं बोलियों में किया जाता है।
